न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू :–29.06.2020

सिविल प्रकरण संख्या:– 08 / 2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद।

...........आवेदक

बनाम

धन्नालाल जैन पुत्र बजरंग लाल जैन, निवासी पटवा गली शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स गणपति मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर सर्किल के पास पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर

...........अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 18/5/22

निर्णय:–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजार(आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.08.2019 को समय 12.30 पी.एम पर मैसर्स गणपति मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर सर्किल के पास, पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां पर धन्नालाल जैन पुत्र बजरंग लाल जैन निवासी पटवा गली शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान में काउण्टर पर स्टील की एक ट्रे में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) लगभग 04 किलोग्राम विक्रय हेतु रखा हुआ था जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र / खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र /खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति मौके पर [illegible]की। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म न0 5ए की प्रति [illegible] कर विक्रेता को दी गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा [illegible] पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) 02

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 460/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) 02 किलोग्राम को 04 कांच की शिशियों में बराबर – बराबर भरकर 04 नमूना भाग तैयार किये एवं फॉर्मलीन की 40–40 बूंद डाल कर अच्छी तरह बंद किया गया जिन पर चार लेबल तैयार कर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक – एक लेबल चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग– अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1663 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागें से बाधंकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूने पर गवाहें के हस्ताक्षर कराकर नमूनों का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षकर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान का पढकर एवं समझाकर हस्ताक्षर हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म स0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफें में मोहम्मद असलम, वार्ड बॉय कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेष्क जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रति के डी.ओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2068 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1775/एक्ट/2019/1315 दिनांक 16.08.19 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) अनसेफ (under section 3(1)(zz)(iv) of the food safety and standard act 2006) दर्शित किया गया। यह है कि विक्रेता द्वारा नमूंना जांच रिपोर्ट के विरूद्ध पुन जांच हेतु फार्म नं0 8 मं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधेपुर को अपील की गई। यह है कि नमूनो का एक भाग पुनः जांच हेतु फार्म 6ए की प्रति के साथ रेफरल खाद्य प्रयोगााल पुणें भिजवाया गया। यह है कि डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/ 2020/141 बी दिनांक 07/02/1010 के साथ निदेशक , रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे द्वारा जारी सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/608/19/30/2020 दिनांक 15. 01.2020 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उक्त नमूना सब स्टैण्डर्ड पाया गया है। यह है कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मा[illegible]नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो [illegible] सुरक्षा [illegible] अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से एड0 श्री मुकेश बंसल एड0 ने वकालतनामा पेश किया गया। अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता नोटिस का जबाव पेश किया गया। पत्रावली मे उभय पक्षों की बहस सुनी गईं।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुंक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव/बहस के दौरान कथन किया है कि विक्रय की गयी खाद्य सामग्री मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) में केवल थोडी बहुत मात्राा में ही कमी पायी गयी है। अत : अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर न्यूनतम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या RFL/DO/608/19/30/2020 दिनांक 15.01.2020 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध एवं चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं [illegible] जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा [illegible] न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/4/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested